

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर- 285/2023
मनरूप सिंह बनाम तहसीलदार
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

13.10.24

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम सीथल तहत तहसील गुढागौड़जी में स्थित है। आवेदका ने निवेदन किया है कि तहसीलदार गुढागौड़जी के आदेश दिनांक 80 दिनांक 13.10.2022 की पालना में पटवारी पटवार हल्का द्वारा मौके पर पहुंचकर दिनांक 17.10.2022 को खसरा नम्बर 1103 की भूमि सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया, चूंकि सीमाज्ञान भी अप्रार्थी द्वारा जारी आदेशों की पालना में ही हुआ है। पत्रावली में एक पक्षीय बहस वकील सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों, फर्द सीमाज्ञान एवं बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं फर्द सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम सीथल स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.91 है0 भूमि की पत्थरगढी मुताबिक फर्द सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2022 करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार गुढागौड़जी को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। प्रार्थना पत्र फैंशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.10.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बनार (राज.)